रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235311 CG-DL-E-22042022-235311

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] No. 295] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/वैशाख 2, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 309(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (5) के खंड (xii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 के नियम 17ग में, खंड (Vक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"(Vख) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 4 के अधीन प्राधिकृत किसी
 व्यक्ति द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की
 उपधारा (2) के अधीन निगमित रहते हुए, नेटवर्क पर अधारित अनावृत मॉडल में भाग लेने के लिए, जिससे

2828 GI/2022 (1)

भारत में डिजिटल वाणिज्य और अंतरसंचालित संदाय समर्थ होगा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कामर्स लिमिटेड के साधारण अंश पुंजी या बॉंड या डिबेंचर्स में किया गया विनिधान;"।

[अधिसूचना संख्यांक 42/2022/ फा. सं. 370142/10/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 307(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2022

INCOME-TAX

- **G.S.R. 309(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (xii) of sub-section (5) of section 11 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 17C, after clause (va), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(vb) investment made by a person, authorised under section 4 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), in the equity share capital or bonds or debentures of Open Network for Digital Commerce Ltd, being a company incorporated under sub-section (2) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), for participating in network based open protocol models which enable digital commerce and interoperable digital payments in India;".

[Notification No. 42/2022/ F. No. 370142/10/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R.307 (E) dated 21st April, 2022.